

अनुदान संख्या 86 - लघु उद्योग मंत्रालय
GRANT No. 86-MINISTRY OF SMALL SCALE INDUSTRIES

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)					
राजस्व:	Revenue:				
स्वीकृत-	Voted-				
मूल	Original	505,24,00	505,26,00	431,54,71	-73,71,29
पूरक	Supplementary	2,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				67,14,14
पूंजीगत:	Capital:				
स्वीकृत-	Voted-		19,00,00	15,00,00	-4,00,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				4,00,00

टीका और टिप्पणियां**Notes and comments**

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचते/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुई/हुआ:-

1. In the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष '2552'	Major Head "2552"				
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	4685.00	
पु.	R.	-4685.00			
मुख्य शीर्ष '2851'	Major Head "2851"				
ग्राम तथा लघु उद्योग	Village and Small Industries				
मू.	O.	44961.00	42995.36	42373.36	-622.00
पू.	S.	2.00			
पु.	R.	-1967.64			

(I) 4685.00 लाख रु. का प्रावधान सोलह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 4552.00 लाख रु. मुख्य शीर्ष '2552' के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(का) "ग्राम और लघु उद्योग - लघु उद्योग" -

(क) "लघु उद्योग सेवा संस्थान" - 145.00 लाख रु.;

(ख) "औजार कक्ष" - 450.00 लाख रु.;

(ग) "प्रौद्योगिकी उन्नयन" - 746.00 लाख रु.;

(घ) "एकीकृत संरचनात्मक विकास स्कीम" - 200.00 लाख रु.;

(ङ) "सूक्ष्म वित्त कार्यक्रम" - 300.00 लाख रु.;

(च) "ऋण सहबद्ध पूंजीगत सहायता" - 671.00 लाख रु.;

(छ) "अन्य अनुदान" - 200.00 लाख रु.;

(ज) "विपणन सहायता स्कीम" - 150.00 लाख रु.;

(खा) "ग्राम और लघु उद्योग - अन्य व्यय" -

(क) "लघु उद्योग क्षेत्रा के लिए ऋण गारंटी स्कीम" - 1210.00 लाख रु.;

(ख) "प्रशिक्षण संस्थान" - 150.00 लाख रु.; और

(ग) "असंगठित/अनौपचारिक क्षेत्रा में राष्ट्रीय उद्यम आयोग" - 330.00 लाख रु.।

(I) Provision of Rs.4685.00 lakhs remained wholly unutilised under sixteen heads; of these Rs.4552.00 lakhs accounted for under Major Head "2552" - under the following heads:-

(A) "Village and Small Industries - Small Scale Industries" -

(a) "Small Industries Service Institute" - Rs.145.00 lakhs;

(b) "Tool Rooms" - Rs.450.00 lakhs;

(c) "Technology Upgradation" - Rs.746.00 lakhs;

(d) "Integrated Infrastructural Development Scheme" - Rs.200.00 lakhs;

(e) "Micro Finance Programme" - Rs.300.00 lakhs;

(f) "Credit Linked Capital Subsidy" - Rs.671.00 lakhs;

(g) "Other Grants" - Rs.200.00 lakhs;

(h) "Marketing Assistance Scheme" - Rs.150.00 lakhs;

(B) "Village and Small Industries - Other Expenditure" -

(a) "Credit Guarantee Scheme for SSI Sector" - Rs.1210.00 lakhs;

(b) "Training Institutions" - Rs.150.00 lakhs; and

(c) "National Commission on Enterprises in the Unorganised/Informal Sector" - Rs.330.00 lakhs.

उपर्युक्त ग्यारह शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान निधियों का पुनर्विनियोग पूर्वोक्त क्षेत्रा और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

Provisions under the above eleven heads remained unutilised due to re-appropriation of funds to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(II) मुख्य शीर्ष '2851' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) "निदेशन और प्रशासन - लघु उद्योगों के लिए विकास आयुक्त" - 274.07 लाख रु. की बचत (1600.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) एंटी वायरस साफ्टवेयर का देशी विकास करने और कंप्यूटरीकरण प्रस्ताव को बंद करने के कारण हुई।

(खा) "प्रशिक्षण - प्रशिक्षण कार्यक्रम" - 114.08 लाख रु. की बचत (700.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) किफायती उपायों के कारण हुई।

(गा) "लघु उद्योग" -

(क) "लघु उद्योगों के आंकड़ों का संग्रहण" - 334.52 लाख रु. की बचत (395.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मूल्यांकन अध्ययन पूरा करने में विलंब होने और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों से कोई मांग न होने के कारण हुई।

(ख) "प्रौद्योगिकी उन्नयन" - 388.31 लाख रु. की बचत (11057.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्रों में नोडीय अभिकरणों/बैंकों द्वारा ऋण सहबद्ध पूंजीगत सहायता स्कीम को स्वीकृत न किए जाने और लघु उद्योग समूह विकास कार्यक्रम के लिए कम प्रस्ताव प्राप्त होने तथा आईएसओ 9000 प्रमाणीकरण पर कम व्यय किए जाने के कारण हुई।

(ग) "परीक्षण केंद्र" - 106.67 लाख रु. की बचत (405.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों के परीक्षण केंद्रों से अच्छी प्रतिक्रिया न मिलने के कारण हुई।

(घ) "सूक्ष्म वित्त कार्यक्रम" - 1928.00 लाख रु. की बचत (2928.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) जोखिम पूंजीगत निधि स्कीम की विलंब से घोषणा किए जाने के कारण हुई।

(घा) "अन्य व्यय" -

(II) Under Major Head "2851" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Direction and Administration - Development Commissioner for Small Scale Industries" - saving of Rs.274.07 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1600.00 lakhs) was due to indigenous development of anti virus software and dropping of computerisation proposal.

(B) "Training - Training Programmes" - saving of Rs.114.08 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.700.00 lakhs) was due to economic measures.

(C) "Small Scale Industries" -

(a) "Collection of Statistics of Small Scale Industries" - saving of Rs.334.52 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.395.00 lakhs) was due to delay in completion of evaluation study and no requirement from State Governments/ Union Territory Governments.

(b) "Technology Upgradation" - saving of Rs.388.31 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.11057.00 lakhs) was due to non-sanctioning of Credit Linked Capital Subsidy Scheme by Nodal Agencies/Banks in North Eastern Region, less proposal for Small Industry Cluster Development Programme and less expenditure on ISO 9000 certification.

(c) "Testing Centres" - saving of Rs.106.67 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.405.00 lakhs) was due to poor response from the testing centres of State Governments.

(d) "Micro Finance Programme" - saving of Rs.1928.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2928.00 lakhs) was due to late announcement of Risk Capital Fund Scheme.

(D) "Other Expenditure" -

- (क) “लघु उद्योग और ग्रामोद्योग क्षेत्रा का सर्वेक्षण और अध्ययन” - 181.85 लाख रु. की बचत (200.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विचारार्थ विषयों, अभिकरणों के चयन और तकनीकी एवं वित्तीय बोलियों को अंतिम रूप दिए जाने/अनुमोदन प्रदान किए जाने में विलंब होने की वजह से कम अध्ययन का काम दिए जाने के कारण हुई।
- (ख) “असंगठित/अनौपचारिक क्षेत्रा में राष्ट्रीय उद्यम आयोग” - 2402.16 लाख रु. की बचत (2957.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों से विलंब से प्रतिक्रिया मिलने के कारण हुई।
- (III) दो शीर्षों के अंतर्गत 133.39 लाख रु. की बचते हुई जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक और स्वीकृत प्रावधान का 18 प्रतिशत और 55 प्रतिशत थीं।
- 2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (2009.00 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष ‘2851’ - “अन्य व्यय - लघु उद्योग क्षेत्रा के लिए ऋण गारंटी स्कीम” के अंतर्गत मार्च, 2007 में 1.00 लाख रु. का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था।
- (II) बचतें मुख्य शीर्ष ‘2851’ के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:-
- (क) “लघु उद्योग” -
- (क) “लघु उद्योग सेवा संस्थान” - 132.23 लाख रु. का अधिक व्यय (4267.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;
- (ख) “राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड” - 350.00 लाख रु. का अधिक व्यय (2645.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;
- (ग) “ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उद्योगों का अवसंरचनात्मक विकास” - 266.62 लाख रु. का अधिक व्यय (1700.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और
- (a) “Survey and studies of the Small Scale Village and Rural Industries Sector” - saving of Rs.181.85 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.200.00 lakhs) was due to awarding of less studies owing to delay in finalisation/approval of Terms of Reference, selection of agencies and finalisation of technical and financial bids.
- (b) “National Commission on Enterprises in the Unorganised/Informal Sector” - saving of Rs.2402.16 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2957.00 lakhs) was due to delayed response from State Governments.
- (III) Under two heads savings of Rs.133.39 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs and constituting 18 percent and 55 percent of the sanctioned provision.
- 2.(I) The above savings were partly (Rs.2009.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of Rs.1.00 lakh in March, 2007 under Major Head “2851” - “Other Expenditure – Credit Guarantee Scheme for Small Scale Industries Sector”.
- (II) Savings were also offset by excess under Major Head “2851” - under the following heads:-
- (A) “Small Scale Industries” -
- (a) “Small Industries Service Institutes” - excess of Rs.132.23 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.4267.00 lakhs);
- (b) “National Small Industries Corporation Ltd.” – excess of Rs.350.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2645.00 lakhs);
- (c) “Infrastructural Development of SSI in Rural Areas” – excess of Rs.266.62 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1700.00 lakhs); and

(घ) “औजार कक्ष” - 395.99 लाख रु. का अधिक व्यय (2564.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय पूर्वोक्त क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष “2552” से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(III) एक शीर्ष के अंतर्गत 95.00 लाख रु. का अधिक व्यय हुआ जो स्वीकृत प्रावधान का 23 प्रतिशत था।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचत निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुई:-

(d) “Tool Rooms” – excess of Rs.395.99 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2564.00 lakhs).

Excess under the above four heads was due to re-appropriation of funds from Major Head “2552” to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(III) Under one head excess of Rs.95.00 lakhs occurred constituting 23 percent of the sanctioned provision.

3. In the capital section of the grant, saving occurred under the following major head:-

कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
		(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)

शीर्ष मुख्य शीर्ष “6851” ग्राम तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज	Head Major Head “6851” Loans for Village and Small Industries
मू.	O. 400.00
पु.	R. -400.00

(I) 500.00 लाख रु. का प्रावधान दो शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 400.00 लाख रु. अकेले मुख्य शीर्ष “6851” - “लघु उद्योग - स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम आदि के कार्यान्वयन के लिए प्रावधान” के अंतर्गत राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड द्वारा अधिक ब्याज दर को स्वीकार न किए जाने के कारण थे।

(I) Provision of Rs.500.00 lakhs remained wholly unutilised under two heads; of these Rs.400.00 lakhs alone accounted for under Major Head “6851” - “Small Scale Industries - Provision for implementation of Voluntary Retirement Scheme etc.” - due to non-acceptance of higher rate of interest by the National Small Industries Corporation Limited.